



फ.सं.11058/2024/पी.एवं एच.ई./चय.वे./के.वि.सं.(मु.)/आर.पी.एस./1810-1841

दिनांक: 03.06.2024

कार्यालय - आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से निम्नलिखित प्र. स्ना. शिक्षक (शा.एवं. स्वा.शिक्षा) को भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग के पत्र सं. एफ.5-180/86-यूटी-1 दिनांक 12.08.1987, 03.11.1987 एवं 06.02.1989 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार रु. 7500-250-12000 (Pay Band of Rs.15600-39100 with Grade pay of Rs.5400) के ग्रेड पे के साथ चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है बशर्ते कि उन्होंने प्र. स्ना. शिक्षक (शा.एवं. स्वा.शिक्षा) के पद पर प्राप्त वरिष्ठ वेतनमान पर 12 वर्ष की सेवाएं पूर्ण की हों तथा वह चयनित वेतनमान स्वीकृति की तिथि तक उसी पद पर कार्यरत हों। यदि उन्हें कभी भी, किसी भी कारण वश चयनित वेतनमान हेतु अयोग्य पाया जाता है तो इस आदेश को वापिस ले लिया जाएगा तथा चयनित वेतनमान पर आहरित की गई राशि उनके द्वारा के0वि0स0 को वापिस लौटाना होगी।

संबंधित प्र. स्ना. शिक्षक (शा.एवं. स्वा.शिक्षा) का चयनित वेतनमान पर वेतन निर्धारण केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों पर लागू वित्तीय नियम-22 (1)(ए)(2) के प्रावधानों के अनुसार ही नियत किया जाएगा। तदनुसार उनके पास विकल्प हैं--(1) नए वेतनमान में अपना वेतन चयनित वेतनमान देय तिथि से नियत करवा लें या (2) अपना वेतन पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में अपनी वेतन-वृद्धि की तारीख से नियत करवा लें। यदि संबंधित शिक्षक अपना वेतन पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में अपनी अगली वेतन-वृद्धि की तारीख से नियत करने का विकल्प लेता है तो उनका वेतन उसी चरण पर नियत किया जाएगा, यदि वह चरण उपलब्ध हो या पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में सामान्य वेतनवृद्धि की स्वीकृति प्रदान करते हुए चयनित वेतनमान पर अगला चरण उपलब्ध हो (i.e. in case, the individual opts for fixation of his/her pay w.e.f. the date of his/her next increment in the Senior Scale of the old post, his/her pay will have to be fixed at the same stage if the same stage is available or the next stage in the selection scale after allowing normal increment in the senior scale of the old post.). वेतन निर्धारण का विकल्प संबंधित प्राचार्य को इस आदेश की प्राप्त होने के तिथि से एक महीने के भीतर प्रस्तुत करना होगा तथा इस संदर्भ में प्र. स्ना. शिक्षक (शा.एवं. स्वा.शिक्षा) द्वारा जो भी विकल्प दिया जाएगा वह अंतिम होगा। संबंधित प्र. स्ना. शिक्षक (शा.एवं. स्वा.शिक्षा) के विवरण निम्नानुसार है -

प्र. स्ना. शिक्षक (शा.एवं. स्वा.शिक्षा)--पै बैंड-3 (रु.15600-39100) एवं ग्रेड पे रु.5400/-

A. ON THE BASIS OF ACRs AND SERVICE RECORDS, THE COMMITTEE FOUND THE FOLLOWING TGT (P&HE) 'FIT' FOR GRANT OF SELECTION SCALE FROM THE DATE AS SHOWN AGAINST THEIR NAMES ---

S. No.	Sen no. (as on 01.01.2017 list)	Name of TGT (P&HE)	KV where working	Date of apptt. In the post in which eligible for selection scale (and present apptt, if there is change subsequently)	Date of drawing senior scale, pre-revised selection grade	Date of grant of selection scale
1	195	JYOTI SAJGURE	BEG PUNE	04.07.1969	23.12.2010	01.01.2023
2	219	T R VEERA	NO.1 PUDUCHERRY (SHIFT-2)	08.09.1966	17.03.2010	01.01.2023
3	224	K.SRINIVASA MURTHY	MG RAIWLAY COLONY	25.08.1964	11.08.2007	07.03.2023 *

4	225	ARTI SINGH	NO. 1 SATNA	05.07.1966	21.08.2007	01.01.2023
5	228	BRIJESH KUMAR SINGH	BUDAUN	22.05.1969	21.09.2007	01.01.2023
6	229	SATYA RANJAN MISHRA	PURI	02.09.1969	01.09.2007	01.01.2023
7	230	P.B.RAWAT	SUMERPUR	14.11.1969	11.09.2007	01.01.2023
8	234	RANVIR SINGH	NO. 2 AHMEDABAD CANTT.	01.07.1965	05.09.2007	07.03.2023 *
9	237	SANJAY KR. SONI	BETUL	05.07.1972	31.08.2007	01.01.2023
10	238	RAJESH KUMAR	DAMANA	18.05.1963	18.09.2007	01.01.2023
11	239	DEEPAK KR. PANDEY	CMM JABALPUR	24.08.1995	24.08.2007	01.01.2023
12	241	JORAWAR SINGH	NO.2 FARIDABAD	02.06.1966	12.11.2008	28.02.2023 *
13	242	NG BRAJALALA SINGH	MALIGAON	01.01.1967	08.06.2007	01.01.2023

* Selection Scale is granted from the next date of completion of in-service course.

B. THE DSC FOUND THE FOLLOWING TGT (P&HE) NOT ELIGIBLE FOR GRANT OF SELECTION SCALE FOR "NOT ATTENDING INSERVICE TRAINING COURSE DURING THE PRECEEDING SIX YEARS ON THE BASIS OF DATA SUBMITTED BY CONCERNED REGIONAL OFFICE -

S. No.	Sen no. (as on 01.01.2017 list)	Name of TGT (P&HE)	KV where working	Date of apptt. In the post in which eligible for selection scale (and present apptt, if there is change subsequently)	Date of drawing senior scale. pre- revised selection grade
1	226	P V PARMAR	PATAN	01.04.1968	31.07.2007
2	231	R. UMA	GILL NAGAR	25.05.1970	09.08.2007
3	233	MANJEET SINGH SOSAN	MIRAN SAHIB	17.03.1965	09.10.2007
4	235	F.D. DORE	CME PUNE	01.10.1966	02.09.2007
5	236	BHABHI RAM DAIMARY	NAGAON	30.11.1967	01.07.2007

C. THE DSC FOUND THE FOLLOWING TGT (P&HE) UNFIT FOR GRANT OF SELECTION SCALE DUE TO SUPERANNUATION/TOOK VRS/ EXPIRED BEFORE COMING INTO THE ZONE OF CONSIDERATION UNDER 20% CEILING:

S. No.	Sen no. (as on 01.01.2017 list)	Name of TGT (P&HE)	KV where working	Date of apptt. In the post in which eligible for selection scale (and present apptt, if there is change subsequently)	Date of drawing senior scale. pre- revised selection grade	Date of retirement/VRS /Death
1	227	DINESH KUMAR	NO.2 BAILEY ROAD (S-2)	13.04.1969	17.08.2007	TOOK VRS w.e.f 12.04.2022
2	232	LAXMAN SINGH	BAAD MATHURA	14.05.1961	18.09.2007	RETIRED ON 31.05.2021
3	240	S M KURLE	AFS YELAHANKA	28.06.1965	14.08.2007	EXPIRED ON 29.04.2021

(शशि कौत भार्गव)
सहायक आयुक्त (अ.प.व.)

प्रतिलिपि प्रेषित -

1. उपायुक्त, के.वि.सं., सभी संभागीय कार्यालय को इस निवेदन के साथ कि वह अपने संभाग के अधीन आने वाले सभी केन्द्रीय विद्यालयों के प्राचार्य तथा संबन्धित शिक्षकों को यह आदेश सूचनार्थ अग्रेषित करें ।
2. उपायुक्त शैक्षिक एवं ईडीपी को इस निवेदन के साथ कि वे इस कार्यालय आदेश को के.वि.सं (मु.) की वेब साइट पर अप लोड करें ।-
- 3 प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को इस निर्देश के साथ कि -
 - क चयनित वेतनमान प्रदान करने से पहले आदेश में संबन्धित शिक्षक के दिये गए विवरण उनके सेवा रिकार्ड से जांच लिए जाएं । यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि संबन्धित शिक्षक की पदोन्नति की तिथि उनके चयनित वेतनमान स्वीकृति की तिथि से पूर्व न हों । कोई भी त्रुटि पाए जाने पर आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिन के अंदर इस कार्यालय को सूचित करें ।
 - ख. संबन्धित शिक्षक से प्रोफोर्मा में वचनबंध - तीन प्रति- ले ली जाएं जिसकी एक प्रति उसके सेवा-पुस्तिका, दूसरी प्रति उसके व्यक्तिगत-मिसिल तथा तीसरी प्रति संबन्धित संभागीय कार्यालय को सूचनार्थ अग्रेषित की जाए ।
 - ग. इस आदेश को प्रभावित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि (1) संबन्धित शिक्षक के खिलाफ कोई सतर्कता मामला/विभागीय कार्रवाई लंबित ना हो और (2) संबन्धित शिक्षक ने चयनित वेतनमान देय तिथि से पिछले 06 वर्षों में 21 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण ग्रहण किया हो ।
- ध. अन्य विवरण जैसे के वि का नाम, पदभार ग्रहण तिथि, वरिष्ठ वेतनमान देय तिथि भी जांच ली जाएं ।

